भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

मासिक मंत्रिमंडल रिपोर्ट, जनवरी 2024

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

क. महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रगति:

- प्रचालनरत 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र) के संशोधित लक्ष्य की तुलना में 31.01.2024 तक 1,64,478 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) को प्रचालनरत किया गया।
- राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत, 17 चिह्नित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1,54,22,190 व्यक्तियों की जांच की गई और 31.01.2024 तक कुल 25,46,945 सिकल सेल कार्ड वितरित किए गए।
- 'आयुष्मान भव' अभियान 17.09.2023 से शुरू किया गया था। जनवरी, 2024 के महीने में, 1.69 करोड़ आयुष्मान कार्ड और 2.6 करोड़ आभा कार्ड बनाए गए और 3.37 लाख आयुष्मान मेले आयोजित किए गए, जिनमें कुल 2.57 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षणों की संख्या 15.29 लाख से अधिक थी और सीएचसी मेलों में 21 हजार से अधिक लोगों ने बड़ी और छोटी सर्जरी सुविधा का लाभ उठाया। क्षय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह के कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशयग्रीवा के कैंसर और मोतियाबिंद की 4.87 करोड़ से अधिक जांचें की गईं। इसके अतिरिक्त, 1.63 करोड़ और 1.30 करोड़ से अधिक लोग क्रमशः नि:शुल्क दवाओं और नैदानिक सेवाओं से लाभान्वित हुए।

ख. विधायी, नियामक उपाय और विविध मामले:

- **विकसित भारत संकल्प यात्रा:**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदर्शित की जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान की है, जैसेकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अग्रणी योजना के रूप में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) और जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पर अतिरिक्त ध्यान देते हुए अभियान के तौर पर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इसके अलावा, मोबाइल वैन के ठहराव वाले स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहां क्षयरोग, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) और सिकल सेल रोग के लिए स्क्रीनिंग और रेफरल, निक्षय मित्र के अंतर्गत निक्षय मित्र पंजीकरण और सहमति, निक्षय पोषण योजना के लिए इसे बैंक खातों से जोड़ना, आयुष्मान कार्ड सृजन और स्थूल कार्ड वितरण संबंधी कार्य आयोजित किए जाते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक केंद्रीय समन्वय समिति का गठन किया है जिन्हें यात्रा की गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्य नोडल अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है और जहां-जहां यात्रा चल रही है, ऐसे लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए वहां दौरे किए गए। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों (आरओएचएफडब्ल्यू), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) से नामित 171 जिला स्वास्थ्य नोडल अधिकारियों ने 643 जिलों का दौरा किया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। जागरूकता लाने और प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्रमवार प्रशिक्षण और बैठकों का आयोजन किया गया है। वास्तविक आंकड़ों को संग्रह करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेटा एंट्री माइक्रोसाइट विकसित की गई है।

31 जनवरी, 2024 तक 2,31,390 ग्राम पंचायतों से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, जिनमें कुल 7,15,40,012 से अधिक लोगों का आवागमन हुआ। 2,78,69,301 आयुष्मान कार्ड बनाए गए और 50,98,841 आयुष्मान कार्ड स्थूल रूप से वितरित किए गए। क्षय रोग के लिए 3,81,50,979 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 11,64,063 से अधिक लोगों को उच्च जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा गया। 42,11,017 लोगों की सिकल सेल रोग संबंधी जांच की गई, जिनमें से 71,069 लोग पॉजिटिव पाए गए और उन्हें उच्च जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में रेफर किया गया। उच्च रक्तचाप के संबंध में लगभग 2,74,67,702 लोगों की जांच की गई और 2,62,60,212 लोगों की मधुमेह संबंधी जांच की गई। 20,02,421 से अधिक लोगों के उच्च रक्तचाप से ग्रसित होने और 14,17,896 से अधिक लोगों के मधुमेह से ग्रसित होने की आशंका पाई गई तथा 30,21,172 से अधिक लोगों को उच्च जन स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया।

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):**

(क) माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिनांक 07.01.2024 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की आधारशिला रखी गई।

(ख) माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा (अहमदाबाद से विडियो कॉन्फेरेंसिंग के माध्यम से) दिनांक 12.01.2024 को राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), अहमदाबाद, गुजरात से पूर्वोत्तर राज्यों में सुविधा केंद्रों की आधारशिला रखने/इन्हें राष्ट्र को समर्पित करने/ इनका उद्घाटन करने संबंधी समारोह निम्नानुसार रहे:

(i) अरुणाचल प्रदेश: 01 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) का उद्घाटन किया गया और 5 आईपीएचएल की आधारशिला रखी गई।

(ii) असम: 16 ब्लॉक जन स्वास्थ्य एकक (बीपीएचयू) और 1 आईपीएचएल का उद्घाटन किया गया।

(iii) मणिपुर: 2 आईपीएचएल की आधारशिला रखी गई। 3 आईपीएचएल राष्ट्र को समर्पित किए गए। इसके अलावा 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का भी उद्घाटन किया गया।

(iv) मेघालय: 2 क्रिटिकल केयर ब्लाकों (सीसीबी) की आधारशिला रखी गई, 1 आईपीएचएल का उद्घाटन किया गया और 4 आईपीएचएल राष्ट्र को समर्पित किए गए।

(v) मिजोरम: 2 सीसीबी और 2 आईपीएचएल की आधारशिला रखी गई।

(vi) नागालैंड: 2 आईपीएचएल की आधारशिला रखी गई।

(vii) त्रिपुरा: 3 आईपीएचएल की आधारशिला रखी गई।

- माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 7 जनवरी 2024 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड "प्रसादम" का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देना, खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य नतीजों में सुधार लाना है। इस आयोजन के दौरान, माननीय मंत्री ने स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट पहल की वेबसाइट लॉन्च की और एक विवरणिका का अनावरण किया जिसमें स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड पर विस्तृत जानकारी शामिल है।

- सा.का.नि. 922 (अ.) 28.12.2023 के माध्यम से 06.01.2024 को राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित

की गई थी ताकि औषधीय उत्पादों के लिए परिसर, संयंत्र और उपस्कर की उत्तम विनिर्माण प्रथाओं और आवश्यकताओं के संबंध में अनुसूची 'ड' को पुनरीक्षित करने के लिए औषधि नियम, 1945 को संशोधित किया जा सके।

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा अस्थायी पंजीकरण अर्थात् "मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा अभ्यास के लिए लाइसेंस विनियम, 2023" से संबंधित दिशानिर्देशों के संबंध में दिनांक 18.01.2024 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई।

- एनएमसी द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षा, 2023 (पीजीएमएसआर, 2023) को अंतिम रूप देने के संबंध में दिनांक 15.01.2024 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई।

- दिनांक 15.01.2024 के का.ज्ञा.सं.एस.14025/24/2023-ईएचएस द्वारा सीजीएचएस के मौजूदा नियमों के अनुसार, आईएफडी के परामर्श की अपेक्षा के बिना सभी सीएसएमए मामलों को निपटाने के लिए प्रतिनिधिमंडल की मौजूदा सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है।

- सीजीएचएस ने दिल्ली में पांच सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सीजीएचएस लाभार्थियों के संबंध में इंडेंट की गई दवाओं की घर पर प्रदायगी के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए 30.01.2024 को डाक विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 09.01.2024 को अभिनव स्वास्थ्य परिचर्या परियोजना में निवेश संबंधी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

- दिनांक 23.01.2024 को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त आशय की घोषणा- पत्र (जेडीआई) पर हस्ताक्षर किए गए।